

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय—

डा0 कृष्ण कुमार मणि, सेवानिवृत्त सह—प्राध्यापक (संविदा)—सह—वरीय चिकित्सा पदाधिकारी (बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग), माईकोबायोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि0 दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि0 (2) दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक—2428(25) दिनांक 24.11.2025 के आलोक में डा0 कृष्ण कुमार मणि, सेवानिवृत्त सह—प्राध्यापक (संविदा)—सह—वरीय चिकित्सा पदाधिकारी (बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग), माईकोबायोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. उल्लेखनीय है कि डा0 मणि द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे दिनांक 10.01.2020 से 31.12.2025 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए हैं तथा प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के कार्यालय पत्रांक 489 दिनांक 17.04.2026 से अवगत कराया गया है कि डा0 मणि द्वारा दिनांक 31.12.2024 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2025 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है ।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 कृष्ण कुमार मणि से की जाएगी ।

4. डा0 कृष्ण कुमार मणि की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.12.2025 है ।

5. अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक:

534 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 16/6/26

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 कृष्ण कुमार मणि, सेवानिवृत्त सह—प्राध्यापक (संविदा)—सह—वरीय चिकित्सा पदाधिकारी (बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग), माईकोबायोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा, पत्राचार का पता—फ्लैट नं0—106, जयश्री काम्पलेक्स, नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना, पिन—800001, मो0नं0—9431687653 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू० लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव